कार्यालय, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, सोरहत्था, वैशाली।

द्वितीय चयन सूची से नामांकन संबंधी आवश्यक सूचना

डी0एल0एड0 सत्र 2020–22 के निर्धारित 150 सीटों के विरुद्ध द्वितीय चयन सूची प्रकाशित कर दी गई है। चयनित अभ्यर्थी दिनांक 08.02.2021 से 10.02.2021 तक कार्यालय अवधि में प्रत्येक कार्य दिवस में 11:00 बजे से 3:00 बजे तक अपना नामांकन कराना सुनिश्चित करेंगें। निर्धारित तिथि तक नामांकन नहीं कराने अथवा संबंधित श्रेणी/कोटि जिसमें नामांकन हेतु चयनित किया गया है, उससे संबंधित मूल प्रमाण–पत्र उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जाएगा।

द्वितीय चयनित सूची से नामांकनोपरांत स्थान रिक्त रहने पर तृतीय चयन सूची प्रकाशित की जाएगी।

चयनित अभ्यर्थी नामांकन के समय निम्न दस्तावेजों को क्रमानुसार सजाकर दो सेट स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ दो फोल्डर फाईल (एक में मूल प्रमाण–पत्र एवं दूसरे में दो सेट छायाप्रति) के साथ उपस्थित होंगे–

1. मैट्रिक/मध्यमा/फौकानिया परीक्षा पास करने का मूल प्रमाण–पत्र एवं मूल अंक–पत्र।
2. इंटर/मौलवी परीक्षा का प्रमाण–पत्र एवं मूल अंक–पत्र।
3. आवासीय प्रमाण–पत्र की मूल प्रति। (एक वर्ष से अधिक पुराना न हो)
4. आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी हेतु सक्षम पदाधिकारी से निर्गत जाति/विकलांगता/आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग प्रमाण–पत्र की मूल प्रति।
5. अंतिम शिक्षण संस्थान से निर्गत विद्यालय/महाविद्यालय परित्याग या स्थानांतरण प्रमाण–पत्र।
6. शिक्षण शुल्क के रूप में सामान्य, पिछड़ा–वर्ग, अत्यन्त पिछडा–वर्ग के अभ्यर्थियों को 11500/–(ग्यारह हजार पाँच सौ रुपये) एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग अभ्यर्थियों को 7000/–(सात हजार रुपए) Online, नामांकन के समय जमा कराना अनिवार्य है, जिसका भुगतान रसीद महाविद्यालय कार्यालय में जमा करना आवश्यक है।
7. सभी मूल प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति का दो सेट, तीन पासपोर्ट साईज फोटो एवं सभी मूल प्रमाण–पत्र एवं अभिलेख दो फाईल फोल्डर में जमा करेंगे।
8. सत्यापन के क्रम में किसी भी प्रमाण–पत्र के फर्जी पाये जाने की स्थिति में नामांकन रदद् करते हुए विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा नामांकन शुल्क के रुप में जमा राशि भी जब्त कर ली जाएगी।
9. **कार्यपालक दण्डाधिकारी (संबंधित अनुमंडल से) के द्वारा सभी अपेक्षित प्रमाण–पत्र के सही होने एवं अन्यत्र कहीं नामांकन नहीं होने के संबंध में शपथ–पत्र। (प्रारूप संलग्न)**
10. रजिस्टर्ड चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र।
11. निर्धारित तिथि तक नामांकन नहीं कराने, अपेक्षित प्रमाण–पत्र की अनुपलब्धता पर नामांकन का दावा स्वतः समाप्त माना जाएगा।
12. उपर्युक्त सभी शर्तों को पूरा करने पर ही आपका नामांकन **औपबंधिक** रुप से किया जाएगा।

नोटः– किसी प्रकार की जानकारी के लिए मो0 नं0–8603020850, 9931920178 पर संपर्क करें।

07/02/2021

प्रभारी प्राचार्य
प्राथमिक शिक्षक शिक्षाा महाविद्यालय
सोरहत्था, वैशाली

07.02.21